Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 36-2016/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 10 मार्च, 2016
(20 फाल्गुन, 1937 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु पृष्ठ

भाग-I अधिनियम

कुछ नहीं

भाग-II अध्यादेश

कुछ नहीं

भाग-III प्रत्यायोजित विधान

अधिसूचना संख्या का0आ0 5/के0अ0 29/1986/धा0 5 तथा 7/2016, दिनांक 10 मार्च, 2016– स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयों के लिए निर्देश जारी करने बारे। 57—64

(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)

भाग-IV शुद्धि-पर्ची, पुन: प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं।

Price : Rs. 5.00

भाग-III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 मार्च, 2016

संख्या का0आ0 5/के0अ029/1986/धा05 तथा 7/2016.– चूंकि, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48–क अन्य बातों के साथ विचार करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण की कोशिश करेगा;

और, चूंकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम 29), की धारा 5 तथा 7 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14), की धारा 19 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के लिए तथा यातायात तथा मानव स्वास्थ्य खतरे से बचने के लिए राज्य में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए तुरन्त कदम उठाना आवश्यक तथा समीचीन है;

और, चूंकि राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए तथा पर्यावरण के गुण को बनाए रखने के लिए तथा क्षेत्र के निवासियों के लिए स्वास्थ्य खतरे से बचने के लिए भी पहले निर्णय लिया हुआ है;

और, चूंकि हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या 16/42/2005–पर्यावरण–III, दिनांक 4 अक्तूबर, 2007 के अनुसार अनुसूची–I के अनुसार स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों तथा अनुसूची–II के अनुसार उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपायों की अपेक्षाओं के बारे में स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयों के लिए निर्देश दिए गए थे;

और, चूंकि राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या का0आ0 64/के0अ0 29/1986/धा0 5 तथा 7/2008, दिनांक 23 जुलाई, 2008, द्वारा जारी पूर्वोक्त अधिसूचना में संशोधन किए हैं;

और, चूंकि राज्य में स्क्रीनिंग संयन्त्र संघ से स्थल–निर्धारण पैरामीटर मानकों के पुनरीक्षण के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे;

और, चूंकि हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का0 आ0 16/42/2005–3 पर्या0, दिनांक 23 नवम्बर, 2015 द्वारा आमंत्रित आक्षेपों तथा सुझावों पर विचार करने के बाद, राज्य सरकार की राय है कि स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों के बारे स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयों के लिए निर्देश जारी करने हेतु नई अधिसूचना जारी करना आवश्यक तथा समीचीन है;

इसलिए, अब, भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय, पर्यावरण विभाग, वन तथा वन्यजीव, अधिसूचना संख्या का0आ0 152 (ई), दिनांक 10 फरवरी, 1998 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 16/42/2005–पर्यावरण–III, दिनांक 4 अक्तूबर, 2007 तथा अधिसूचना संख्या 64/के0अ0 29/1986/धा0 5 तथा 7/2008, दिनांक 23 जुलाई, 2008, के अधिक्रमण में तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का0 आ0 16/42/2005–3 पर्या0, दिनांक 23 नवम्बर, 2015 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुसूची–I के अनुसार स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों तथा अनुसूची– II के अनुसार उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपाय की अपेक्षाओं के बारे में स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयों के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं;

उपरोक्त निर्दिष्ट अधिक्रमित अधिसूचनाओं के अनुसरण में की गई कोई कार्रवाई इस अधिसूचना के उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी जहां तक वह इस अधिसूचना के उपबन्धों के असंगत न हो।

अनुसूची–I

हरियाणा में स्क्रीनिंग संयन्त्रों के स्थल निर्धारण के लिए मानक

क्रम संख्या	मानदण्ड	किलोमीटर में दूरी
1	2	3
1.	निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.25
2.	निकटतम राज्य राजमार्ग से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.10
3.	निकटतम महानगरीय शहर से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	5.00

क्रम संख्या	मानदण्ड	किलोमीटर में दूरी
4.	किसी नगर की नगरपालिका सीमाओं से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.25
5.	निकटतम नगर आबादी से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	1.50
6.	निकटतम गांव आबादी से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.25
7.	निकटतम पर्यटक काम्पलैक्स से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	1.00
8.	सड़कों, नहरों, रेल लाईनों तथा बांधों के साथ वन/पौधारोपण पट्टी के सिवाए सरकारी रिकार्ड (राजस्व या वन विभाग) में वन के रूप में अभिलिखित किसी भूमि से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.20
9.	20 किलोलीटर क्षमता वाली खुले आसमान की अनुमोदित जल आपूर्ति स्कीम से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.25
10.	25 या उससे अधिक अन्तरंग रोगियों का प्रबन्ध करने वाली किसी अन्तरंग स्वास्थ्य उपचार इकाई से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	1.00
11.	अधिसूचित पक्षी/वन्य जीव अभ्यारणों/राष्ट्रीय या राज्य वन्य जीव पार्कों से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.20
12.	नदी या जल सरणी, नाला, जल निकास से न्यूनतम दूरी	0.10
13.	किसी शैक्षिक संस्था से न्यूनतम दूरी	1.00

उपरोक्त अनुसूची के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश भी दिए गए हैं।

टिप्पणः

(i) दूरी उन्हीं सिद्धान्तों तथा प्रणाली–विज्ञान का अनुसरण करते हुए मापी जाएगी जो तकनीकी परिस्थिति तथा सुविधा के अनुसार लोक निर्माण विभाग, भवन तथा सड़क विभाग में या राजस्व विभाग में दूरियों को मापने में ग्रहण की जाती है।

(ii) कोई भी स्थल–निर्धारण मानदण्ड निकटतम मुख्य जिला सड़कों तथा अन्य सड़कों से सड़क की ओर के साथ–साथ धातु सतह से ऊपर बारह फुट ऊँचाई की वायु रोकने वाली दीवार के निर्माण के अध्यधीन दूरी के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(iii) किसी भी स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाई को चलाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो उपरोक्त यथा विहित स्थल–निर्धारण मानकों को पूरा नहीं करती हैं। ऐसी स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाईयों को जो स्थल–निर्धारण मानदण्ड की निषिद्ध सीमाओं के भीतर है; विहित स्थल–निर्धारण दूरियों के अनुरूप क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाएगा।

(iv) फरीदाबाद जिले में किसी भी स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाई को फरीदाबाद जिले में परिलक्षित क्रैशिंग जोन के बाहर स्थापित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(v) अधिसूचित पक्षी/वन्य जीव अभ्यारणों/राष्ट्रीय या राज्य वन्य जीव पार्कों के सम्बन्ध में क्रम संख्या 11 पर उपरोक्त विहित दूरी केवल उन मामलों में लागू होगी जहां ऐसे मामलों में पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अभी तक ईको–अतिसंवेदनशील जोन घोषित या प्रस्तावित नहीं किए गए हैं।

(vi) यदि संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण या संरक्षण आरक्षित, के ईको–अतिसंवेदनशील जोन को विनिर्दिष्ट दूरी के लिए प्रतिबन्ध करने वाला अधिसूचित किया गया है, तो उसका पालन किया जाएगा।

(vii) स्क्रीनिंग संयन्त्रों को उनके संयन्त्रों में स्टोन क्रैशिंग/चूर–चूर करने/पीसने वाली कोई गतिविधि नहीं चलाई जाएगी।

(viii) नदी के मामले में, दूरी नदी के बाहरी तरफ के बाढ़ संरक्षण तटबंध से मापी जाएगी। जहां कहीं कोई भी बाढ़ संरक्षण तटबन्ध नहीं है, तो दूरी गैर मुमकिन नदी, चौ या चौ/नदी के बाहरी तरफ के जल निकाय के परिलक्षित समरूप नामावली के रूप में अभिलिखित राजस्व रिकार्ड के अनुसार ''गैर मुमकिन भूमि'' के बाहरी किनारे से मापी जाएगी।

(ix) विभिन्न विहित स्थानों से स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयों की दूरी सम्बद्ध तहसीलदार द्वारा प्रमाणित/सत्यापित की जाएगी तथा वन भूमि के लिए स्थल निर्धारण दूरी के बारे में रिपोर्ट सम्बद्ध मण्डल वन अधिकारी से ली जाएगी। बोर्ड का सम्बद्ध क्षेत्रीय अधिकारी मण्डल वन अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सत्यापन से भिन्न विहित स्थानों की दूरी सत्यापित करेगा।

अनुसूची II

उत्सर्जन मानक तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपाय तथा अपेक्षाएं

मद संख्या I

(i) स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयां पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन यथा विहित मानकों के भीतर वायु उत्सर्जन/शोर स्तर तथा बहिःस्राव बहाव रखेंगी।

मद संख्या II

निम्नलिखित प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयों द्वारा अनिवार्य बाध्यता के अनुसार लगाए जाने तथा संचालित किए जाने अपेक्षित हैं :—

(i) सभी स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयां संयन्त्र के परिसरों के भीतर पक्की सड़क का निर्माण करेगी।

(ii) स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयां अपने कच्चे/संसाधित सामग्री का ढ़ेर केवल स्क्रीनिंग संयन्त्र क्षेत्र में लगाएगी जो उचित रूप से परिलक्षित तथा अधिमानतः दीवार से बन्द होगा।

(iii) धूल रोकने के लिए स्क्रीनिंग संयन्त्र के परिसरों के भीतर भूमि तथा ऐसे स्क्रीनिंग संयन्त्र की मुख्य सड़क की नियमित सफाई करना तथा गीला करना;

(iv) सभी स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयां में सम्बद्ध मण्डल वन अधिकारी द्वारा पौधारोपण योजना के अनुमोदन के बाद दो कतारों की पौधारोपण वृक्षवीथि वाली परिधि के साथ हरित पट्टी मुहैया कराई जाएगी। परिसरों के भीतर पौधारोपण के सम्पूर्ण रूप से विकसित होने तक, परियोजना प्रस्तावक धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए परिधि के साथ अवरोध/रूकावट का निर्माण किया जाएगा। ऐसी रूकावट या तो चार दीवारी या लचीला कपड़ा (तारपोलिन इत्यादि) या दोनों का संयोजन द्वारा सभी तरफ से परिसरों के पूर्णरूप से संलग्न की जानी चाहिए जो बन्द किया जाएगा। रूकावट की ऊँचाई वाहक पट्टे के उच्चतम सिरे की ऊँचाई से कम नहीं होगी।

(v) स्क्रीनिंग संयन्त्र द्वारा उत्पन्न गाद का नीचे के क्षेत्रों में वैज्ञानिक रूप से निपटान किया जाएगा तथा स्क्रीनिंग संयन्त्र का स्वामी उसके लिए उचित योजना बनाएगा।

(vi) स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयां सुनिश्चित करेगी कि स्क्रीनिंग/संसाधन के लिए प्राप्त सामग्री अनुमोदित खनन पटटा धारकों से लायी गई है जहां निष्कर्षण यथा लागू तथा सक्षम प्राधिकारी/खान तथा भू–विज्ञान विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित खनन योजना/खनन की स्कीम या खनन संविदा के निर्देश के निबन्धनों के अुनसार किया गया है। स्वामी स्थापना की सहमति/चलाने की सहमति के लिए आवेदन करते समय हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को इस आशय का सबूत प्रस्तुत करेगा।

(vii) स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयों द्वारा युक्तियुक्त रूप से प्रयुक्त तथा शोषित कच्ची सामग्री के स्रोत तथा मात्रा तथा देशविधि के अधीन उस पर यथा लागू इसके उत्पादन डाटा, भुगतान करों तथा शुल्कों से भी सम्बन्धित सम्पूर्ण डाटा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

(viii) प्रत्येक स्क्रीनिंग संयन्त्र हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थापना सहमति प्राप्त करेगा तथा बोर्ड से चलाने की सहमति प्राप्त किए बिना संचालन नहीं करेगा।

(ix) इकाई की स्थाई बन्दी के मामले में क्षेत्र को उसकी मूल स्थिति में बहाल करना चाहिए।

(x) स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाई उत्पादन शुरू करने से पहले उचित पर्याप्त प्रदूषण नियन्त्रण उपाय मुहैया करेगी।

(xi) स्क्रीनिंग संयन्त्र प्रक्रिया से उत्पन्न बहिःस्राव में प्रलंबित (निलम्बित) ठोस पदार्थ के तलछट के लिए विस्तारित निथार टेंकी (3 नम्बर) द्वारा संरचनात्मक रूप से सही तथा उपयुक्त मुहैया करेगा तथा प्रक्रिया में 90 प्रतिशत तक उपचारित जल की रिसाईक्लिंग/पुनः प्रयोग सुनिश्चित करेगा।

(xii) अति संवेदनशील जोनों के लिए शोर के सम्बन्ध में परिवेशी वायु गुण के लिए स्क्रीनिंग संयन्त्र पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन विहित मानकों को पूरा करने के लिए ध्वनि संवेष्ठन सहित पर्यावरण रूप से सही प्रौद्योगिकी पर आधारित उपयुक्त प्रदूषण नियन्त्रण माप/यन्त्र मुहैया करेगा।

मद संख्या III

प्रत्येक स्क्रीनिंग संयन्त्र स्क्रीनिंग संयन्त्र स्वामी द्वारा स्वामित्वाधीन प्रत्येक स्क्रीनिंग सयन्त्र चलाने के लिए कम से कम एक एकड़ भूमि (1.0 एकड़) का कब्जे में रखना हो या अपने पक्ष में कम से कम पांच वर्ष का सम्यक रूप से रजिस्टर्ड पट्टा रखता हो।

मद संख्या IV

(i) वर्तमान स्क्रीनिंग संयत्र जो इस अधिसूचना के माप–दण्डों को पूरा नहीं करते हैं, को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर बदलना होगा, जो दूसरे एक वर्ष के लिए विस्तारयोग्य है, परन्तु स्क्रीनिंग संयंत्र इकाइयां इस अधिसूचना के अनुसार स्थान–निर्धारण मानकों को पूरा करने के लिए स्थान हेतु भूमि प्राप्त करे तथा एक वर्ष की उक्त अवधि के दौरान हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवेदन करें।

(ii) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड सहित किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विद्यमान वैधानिक उपबन्धों तथा किसी प्रशासकीय आदेशों के बीच किसी विरोध के मामले में, वैधानिक उपबन्ध लागू होंगे।

(iii) किसी अन्य कारण के प्रतिकूल का ध्यान किए बिना, किसी भी स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाई को चाहे विगत में या भविष्य में नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, खान तथा भू–विज्ञान विभाग, हरियाणा, वन विभाग, हरियाणा या केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण इत्यादि सहित सक्षम विधायी प्राधिकरण या विहित प्राधिकरण द्वारा यथा लागू या विहित के किसी अन्य लागू विधिक निर्वन्धनों, विधायी कानून तथा नियमों के उल्लंघन में चलाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा स्थापना के सहमति प्रमाणपत्र को जारी करना किसी ऐसे वैधानिक विधिक अधिसूचनाओं का उल्लंघन करने की किसी अनुज्ञा के रूप में नहीं समझा जाएगा।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण विभाग।